भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2501

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

स्वास्थ्य बीमा कंपनियां

2501. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के कार्य-निष्पादन के आधार पर उनकी रेटिंग करने के लिए कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यूज़ एंड फाइल सिस्टम के अंतर्गत बीमा कंपनी द्वारा नए उत्पाद शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया के विनियमों को हटा लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि यूज़ एंड फाइल सिस्टम के अंतर्गत शुरू की गई नीतियों में लक्षित ग्राहकों के लिए सतत्ता और वहनीयता का अभाव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान गैर-अनुपालन के कारण कितनी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं निलंबित की गई हैं या वापस ले ली गई हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): बीमा क्षेत्र के विनियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने दिनांक 30.09.2021 के परिपत्र के माध्यम से यह विनिर्दिष्ट किया है कि बीमाकर्ताओं को 24 महत्वपूर्ण अनुपातों का खुलासा करना चाहिए जिसमें सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर, निवल मूल्य की वृद्धि दर, संयुक्त अनुपात, निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में किए गए निवल दावे, एनपीए अनुपात आदि शामिल हैं। इस रिपोर्टिंग से स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए एक सुकर व्यावस्था उपलब्ध होती है।

(ख) और (ग): लोगों की स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए, इरडाई ने दिनांक 01.06.2022 के परिपत्र के माध्यम से सभी श्रेणियों के उत्पादों और ऐड-ऑन अथवा राइडर्स के लिए 'यूज एंड फाइल' प्रक्रिया शुरू की है। इस नई प्रणाली में संभावित पॉलिसीधारकों को नवाचार के क्षेत्र और उत्पादों का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

स्वास्थ्य बीमा उत्पादों का मूल्य निर्धारण सामान्य रूप से बाजार व्यवस्था और बीमाकर्ताओं का प्रबंधन पर व्यय, दावों के अनुभव आदि पर आधारित होता है।

यूज एंड फाइल प्रक्रिया के संदर्भ में, बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उत्पाद के मूल्य का निर्धारण व्यवहार्य, स्वावलम्बी और लक्षित बाजार के लिए किफायती हो। इसके अलावा, मूल्य निर्धारण सामान्य तौर पर स्वीकृत बीमांकिक सिद्धांतों पर आधारित होगा और मूल्य में संशोधन, यदि कोई हो, केवल अंतर्निहित दावों के अनुभव पर आधारित होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमाकर्ता बार-बार कीमतों में संशोधन न करें, इरडाई ने उन्हें उत्पाद पेश करने के तीन साल के भीतर सामान्य तौर पर कीमतों में संशोधन न करने की सलाह दी है।

(घ): इरडाई ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान गैर-अनुपालन के कारण किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना पर न तो रोक लगाई गई है अथवा न ही उसे वापस लिया गया है।

*****